



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलैण्ड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
DID No. 2835100

व्यापार सुविधा संख्या 12/2021


विषय: स्वतः अनुमोदन के साथ अग्रिम बी ई में बी एल. संख्या में संशोधन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तंत्र - के संबंध में (आई सी ई एस परामर्शिका 13/2021 दिनांक 25.05.2021) ।

व्यापारिक सदस्यों का ध्यान आई सी ई एस की परामर्शिका संख्या 10/2021 दिनांक 29.03.2021 तथा इस कार्यालय के त्पार सुविधा संख्या 11/2021 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46(वित्त विधेयक 2021 को तहत संशोधित) के तहत अग्रिम बिल ऑफ एंट्री भरने के प्रावधान का कार्यान्वयन करने के लिए ई डी आई सिस्टम में किए गए बदलावों की व्याख्या की गई है।

2. परामर्शिका में दर्शाए अनुसार, सिस्टम में बिल ऑफ एंट्री दायर करते समय यदि एम बी एल उपलब्ध नहीं है तो इसे NOMBL(समुद्र होने की स्थिति में) NPMAWB(वायु होने की स्थिति में) जैसा कि मामला हो, एच बी एल की अनिवार्य घोषणा के साथ दायर करना चाहिए। आगमन सूची के साथ नियमितिकरण के लिए आयातकों के पास बिल ऑफ एंट्री में बाद में एम बी एल को किसी भी समय आगमन सूची के साथ बी ई के नियमितिकरण/योजन जो कि सीमाशुल्क सिस्टम में स्वतः अनुमोदित सरल ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया द्वारा करने का विकल्प उपलब्ध है। यह ऑनलाइन संशोधन प्रक्रिया उक्त परामर्शिका में भी विस्तृत रूप में वर्णित है।

3. मामले, यथापि, पाए गए है जहाँ बी ई वास्तव में बी ई संख्या (NOMBL/NOMAWB नहीं) के साथ दायर किए गए है परंतु यह कुछ टंकण त्रुटियों के साथ दिया गया है। ऐसे मामलों में, आयातक को सीधे सीमाशुल्क अधिकारी को सही बी एल संख्या अद्यतनीकृत करने तथा बी ई के नियमितिकरण हेतु संपर्क करना होगा। इस प्रक्रिया को सरल व संपर्करहित बनाने के लिए यह तंत्र परामर्शिका 10/2021 में NOMBL/NOMAWB मामलों को भी समाहित करने के लिए विस्तारित की गई है। यदि अग्रिम बी ई दायर करते समय एम बी एल संख्या/एच बी एल संख्या गलत भरी गई हो तो आयातक/सीमाशुल्क ब्रोकर आई जी एम विवरण के साथ बी ई संशोधन सही एम बी एल (MAWB)/HBL (HAWB) संख्या को A_PBEIGM कोड के साथ अद्यतन कर सकते हैं। सिस्टम को ऐसे संशोधनों को स्वतः अनुमोदित करने के लिए सक्षम किया गया है और यदि दिए गए बीएल नंबर आईजीएम में दिए गए नंबरों से मेल खाते हैं, तो सिस्टम द्वारा बीई को स्वतः नियमित कर दिया जाएगा। यह सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रक्रिया

की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह तंत्र केवल बी एल संख्याओं को अद्यतनीकृत करने के लिए उपलब्ध है। अन्य संशोधन जैसे कंटेनर विवरण आदि में परिवर्तन अधिकारी के अनुमोदन से करना होगा जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। इस तंत्र का उपयोग आयातक द्वारा सीमा शुल्क अधिकारी से संपर्क करने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से बीई नियमितीकरण के लिए अनुरोध हेतु भी किया जा सकता है।



मोहम्मद यूसफ MODH YOUSAF
आयुक्त Commissioner

मि. सं. GEN/EDI/ADV/2/2020-EDI-O/o COMMR-CUS-COCHIN

दिनांक: 16.06.2021

प्रतिलिपि: आयुक्त की फाईल, वेबसाईट

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009



Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

DID No. 2835100

व्यापार सुविधा संख्या 12 / 2021 (Trade Facility No. 12 / 2021)

Subject : : Electronic mechanism to amend BL number in Prior/Advance BE with Auto Approval - Reg (ICES Advisory 13/2021 dated 25.05.2021)

Kind attention from members of Trade is invited to the ICES Advisory No. 10/2021 dated 29.03.2021 & this office Trade Facility No. 11/2021 describing the changes enabled in Customs EDI System for implementation of provisions of filing of Advance Bill of Entry under Section 46 of Customs Act (as amended vide Finance Act 2021).

2. As explained in the advisory, while filing Bill of Entry declaration in the system where MBL is not available, MAWB/BL No. shall be declared as NOMBL (in case of sea) or NOMAWB (in case of air), as the case may be, with mandatory declaration of HBL. For regularization with Arrival Manifest, the importers have the option to update the MBL in the Bill of Entry at any point in time later to regularize/link the BE with Arrival Manifest through a simple online amendment process which is auto approved in Customs System. This online amendment process has also been elaborated in the above advisory.

3. Cases, however, have been reported where the advance BE was originally filed with BL number (and not NOMBL/NOMAWB) but the same was given incorrectly with

some typographical error. In such cases, importer has to currently approach the Customs officer for updating the correct BL number and regularize the BE. To ease this process and make it contactless, the same mechanism as has been given for NOMBL/NOMAWB cases in Advisory 10/2021 has now been expanded to cover these cases also. If the declaration of MBL Number/HBL number has been filed wrongly at the time of filing of prior/advance BE, the importer/customs broker can file BE amendment of the IGM details with amend code as **A_PBEIGM** to update the correct MBL(MAWB)/HBL(HAWB) Number. The System has been enabled to auto approve such amendments and the BE will be auto regularised by the System if the given BL numbers match with the ones given in the IGM. This would do away with the requirement of approval process by the Customs officer. It may be noted that this mechanism is available only to update BL numbers. Other amendments like changes in container details etc. will have to done with officer approval as is being done currently. This mechanism can also be used by the importer to electronically request for BE regularization instead of approaching the Customs officer.

मो. यूसफ MOHD. YOUSAF
आयुक्त COMMISSIONER

Copy to :

1. Commissioner's File
2. Website

Copy Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs